न्यायालय लोकपाल मनरेगा, जिला, वैशाली द्वारा शिकायत सं0–07 में पारित आदेश की प्रतिलिपिः

आदेश

दिनांक :–		टिप्पणी / कार्रवाई
24.4.13	यह शिकायत श्री महेश प्रसाद सिंह , मुखिया, ग्राम पंचायत , चेचर , प्रखण्ड– बिदुपुर , जिला– वैशालीके दिनांक 13.03.13 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र बिदुपुर , प्रखण्ड क ग्राम पंचायत चेचर में वित्तीय वर्ष 2009–10 में वृक्षारोपण की योजनाओं में व्यय की गयी राशि को उप विकास आयुक्त, वैशाली द्वारा अनियमितत रूप से दुरूपयोग पाने के करण राशि जमा करने के आदेश के संदर्भ में था। शिकायतकर्त्ता का कहना है कि वृक्षारोपण की वर्ष 2009–10 की कुल 22 योजनाओं में योजना संख्या 21,22,23,24,25,26,27,28,29 29 ,एवं 30/2009–10 में लगाये गये वृक्ष को नीलगाय एवं अन्य दूसरे जानवर द्वारा नष्ट किया गया था। शेष 12 योजना के संदर्भ में वनपोषक द्वारा प्रथम पटवन कराया गया था, परन्तु रोजगार सेवक, श्री राज किशोर सिंह के फरार हो जाने के कारण देखभाल करने वाला कोई नहीं था नतीजतन शेष 12 योजनाओं में भी लगाए गये वृक्ष प्रायः नष्ट हो गये। शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि पंचायत रोजगार सेवक, श्री राज किशोर सिंह की अनुपस्थिति के संदर्भ में मैंने लिखित रूप से उप विकास आयुक्त, वैशाली, कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिदुपुर को बार–बार सूचित किया था। परन्तु कोई दूसरा रोजगार सेवक भी नही दिया गया। नतीजतन वनपोषकों के अभाव में पौधे नष्ट हो गये। अतः मुझे इस अनियमितता से दोष मुक्त किया जाय। शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र के संबंध में पंचायत रोजगार सेवक, चेचर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसमें शिकायतकर्त्ता ने बताया कि उक्त संदर्भ की जाँच उप विकास आयुक्त, वैशाली के निदेशानुसार जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, वैशाली –सह– प्रभारी पदाधिकारी, बिदुपुर एवं सहायक अभियंता, मनरेगा, वैशाली द्वारा योजनाओं की स्थल की जाँच की गयी थी। उक्त दोनों पदाधिकारियों ने अपना जाँच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था। यह जाँच प्रतिवेदन सात पृष्ठों का है। यह प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। उक्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । जाँच प्रतिवेदन में किसी भी योजना में बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया था, तथा सभी योजनाओं में जीवित पौधो की संख्या शून्य पाया गया था। अतः कार्य का सफल कार्यान्वयन नहीं किया जा सका था। अतः उप विकास आयुक्त, वैशाली द्वारा अनियमितता की असमायोजित राशि जमा करने का आदेश सही है। अतः ओदश दिया जाता है कि सात दिनों के अन्दर उक्त राशि को ससमय जमा करना सुनिश्चित करें। इन्ही निष्कर्ष के साथ इस शिकायत का निष्पादन किया जाता है। हस्ताक्षर लोकपाल, मनरेगा वैशाली ज्ञापांक 477 मनरेगा, हाजीपुर दिनांकः 3/5/13	जमा की गयी राशि का व्योरा एच0डी0एफ0सी0, बैंक, हाजीपुर दिनांक 27.04.13 रू0 120617.00 ड्राफ्ट सं0 –006799 VSV. CO-PERATIVE BANK LTD, HAJIPUR दिनांक 27.04.13 रू0 120617.00 ड्राफ्ट सं0 –006860 पंजाब नेशनल बैंक, बिदुपुर दिनांक 02.05.13 रू0 89300.00 ड्राफ्ट सं0 –377929

21.

प्रतिलिपिः कार्यक्रम पदाधिकारी, बिदुपुर को सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

लोकपाल,
मनरेगा, वैशाली

ज्ञापांक 477 मनरेगा, हाजीपुर दिनांकः 8/5/13

प्रतिलिपिः शिकायतकर्त्ता श्री महेश प्रसाद सिंह को सूचनार्थ एवं अनुपालनर्थ ।

लोकपाल,
मनरेगा,वैशाली